संख्या-29/2024/651/30-03-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय: विभिन्न जनपदों में स्थापित चेकगेट पर **Weigh in Motion (WIM)** स्थापित कराये जाने तथा ओवरलोडेड वाहनों की **Real Time** अलर्ट/नोटिफिकेशन की सूचना तथा **WIM** का ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेशन किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-372(जी0)स0सु0/2024-16स0सु0/2023, दिनांक 07 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-03-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विभिन्न जनपदों में स्थापित चेकगेट पर Weigh in Motion (WIM) को स्थापित कराये जाने तथा ओवरलोडेड वाहनों की रियल टाइम एलर्ट/नोटिफिकेशन की सूचना तथा वे-इन-मोशन का ई-चालान पोर्टल से इन्टीग्रेशन किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 496.77 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15-24-91/30-3-2024, दिनांक 15-02-2024 द्वारा स्वीकृत 40 प्रतिशत धनराशि रू0 198.71 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 298.06 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्ठान्नवे लाख छः हजार मात्र) का भुगतान उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को अग्रिम रूप से किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकर के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग एवं शासन को अवगत करायेंगे।

(4) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए वित्त विभाग एवं शासन की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(5) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख से वहन किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-664-X-2023-24, दिनांक 16 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-29/2024/651(1)/30-3-2024, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।